



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 327]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 20 नवम्बर 2024—कार्तिक 29, शक 1946

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 नवम्बर 2024

क्रमांक एफ ए 3-33/2017/1/पांच (29) : मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), मध्यप्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 9 की उपधारा (1) और धारा 15 की उपधारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए -3/33/2017/1/पांच (42) दिनांक 5 अगस्त, 2017 में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा: -

उक्त अधिसूचना में, -

(क) अनुसूची 1 -2.5% के पश्चात्, सूची 1 में, मद संख्या 232 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(233) ट्रेस्टुजुमैब डेक्स्टेकन

(234) ओसिमेरटिनिब

(235) डुरवालुमैब";

(ख) अनुसूची II में - 6%, क्रम संख्या 32ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

"32ग	1905 90 30	एक्सट्रूडेड या विस्तारित उत्पाद, सेवरी या साल्टेट (एक्सट्रूजन की प्रक्रिया के माध्यम से विनिर्मित बिना तले या बिना पके स्नैक पेटेड्स के अलावा, चाहे किसी भी नाम से जाने जाते हों);
------	---------------	--

(ग) अनुसूची III में - 9%, -

(i) क्रम संख्या 16 के समक्ष, कॉलम (3) में, "एक्सट्रूजन की प्रक्रिया के माध्यम से विनिर्मित बिना तले या बिना पके स्नैक पेलेट्स, चाहे किसी भी नाम से जाने जाते हों" शब्दों के स्थान पर, "एक्सट्रूजन की प्रक्रिया के माध्यम से विनिर्मित" बिना तले या बिना पके स्नैक पेलेट्स, चाहे किसी भी नाम से जाने जाते हों,

एक्सट्रूडेड या विस्तारित उत्पाद, सेवरी या साल्टेड" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) क्रम संख्या 435क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

"435क	9401 [9401 10 00 या 9401 20 00 के अलावा]	सीटें (शीर्ष 9402 के अलावा), चाहे वे बिस्तरों और उनके भागों में परिवर्तनीय हों या नहीं, विमान में उपयोग की जाने वाली सीटों या मोटर वाहनों के लिए उपयोग की जाने वाली एक प्रकार की सीटों के अलावा";
-------	--	---

(घ) अनुसूची IV में - 14%, - क्रम संख्या 210 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

"210क	9401 20 00	मोटर वाहनों के लिए उपयोग की जाने वाली एक प्रकार की सीटें"।
-------	------------	--

2. यह अधिसूचना दिनांक 10 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी मानी जाएगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वन्दना शर्मा, उपसचिव

भोपाल, दिनांक 20 नवम्बर 2024

क्र. एफ ए 3-33-2017-1-पांच.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-33-2017-1-पांच (29), दिनांक 20 नवम्बर 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वन्दना शर्मा, उपसचिव

Bhopal, the 20th November 2024

No. F A 3-33/2017/1/V (29) :In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in this department's notification No F-A3-33-2017-1-V (42) Dated 29th June 2017, namely:-

In the said notification, -

(a) after Schedule I-2.5%, in List 1, after item number 232 and the entries relating thereto, the following item numbers and entries shall be inserted, namely: -

“(233) Trastuzumab Deruxtecan

(234) Osimertinib

(235) Durvalumab”;

(b) in Schedule II - 6%, after S. No. 32B and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

“32C	1905 90 30	Extruded or expanded products, savoury or salted (other than un-fried or un-cooked snack pellets, by whatever name called, manufactured through process of extrusion)”;
------	---------------	---

(c) in Schedule III - 9%

(i) against S. No. 16, in column (3), for the words “un-fried or un-cooked snack pellets, by whatever name called, manufactured through process of extrusion”, the words “un-fried or un-cooked snack pellets, by whatever name called, manufactured through process of extrusion, extruded or expanded products, savoury or salted” shall be substituted;

(ii)for S. No. 435A and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be substituted, namely: -

“435A	9401 [other than 9401 10 00 or 9401 20 00]	Seats (other than those of heading 9402), whether or not convertible into beds and parts thereof other than seats of a kind used in aircraft or seats of a kind used for motor vehicles”;
-------	--	---

(d) in Schedule IV – 14% after S. No. 210 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

“210A	9401 20 00	Seats of a kind used for motor vehicles”.
-------	------------	---

2. This notification shall be deemed to have come into force on the 10th day of October, 2024.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VANDANA SHARMA, Dy. Secy.